राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

प्रार्थनापत्र संख्या :– **215/2024** **दायर तारीख 18/05/2024**

अनवान

01. नानालाल पुत्र होक्मीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

............प्रार्थी

बनाम

01. अनिल कुमार पुत्र जीतमल उम्र बालिग जाति धाकड़ निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियां
02. मांगीदेवी पत्नि स्व. जीतमल उम्र बालिग जाति धाकड़ निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियां
03. राजीदेवी पत्नि स्व. भवाना उम्र बालिग जाति धाकड़ निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियां
04. शोभालाल पुत्र भवाना उम्र बालिग जाति धाकड़ निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियां
05. सुमित्रा देवी पत्नि जीतमल उम्र बालिग जाति धाकड़ निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियां
06. सोहनलाल पुत्र भवाना उम्र बालिग जाति धाकड़ निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियां
07. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... विपक्षी

उपस्थित :1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ ....अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जगदीश धाकड़ एवं पैरोकार सरकार................अधिवक्ता विपक्षी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :-09/07/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्राथी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा भू.अभि.निरिक्षक उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 33 में अंकित खसरा नम्बर 103 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि उसी ग्राम की आराजी संख्या 305/108 रकबा 0.2266 हैक्टेयर गे.मु. सड़क से उत्तर दिशा में विपक्षी संख्या 07 की बिलानाम आराजी संख्या 97 किस्म बंजड़ के दक्षिणी पश्चिमी कोने से होता हुआ पश्चिमी भूजा के सहारे सहारे विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 06 की खातेदारी आराजी संख्या 289/97 में होकर विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 06 की आराजी संख्या 98 में जाता हैं एवं उसके बाद विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 06 की आराजी संख्या 99 में होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 103 में प्रवेश करता हैं रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ते में लोहे की फाटक लगी हुई है। प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

लगातार पेज संख्या 02

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी आधार संवत् 2074–2077 ग्राम देवगढ़ खसरा 103, 305/108, 289/97, 97, 98, 99 की एवं नजरी नक्शा एवं ऑनलाईन नक्शा उक्त प्रस्तावित आराजीयात पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 18.05.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षीगण की और से अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ उपस्थित। तहसीलदार बिजौलियां की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षीगण के अधिवक्ता की और से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पेरोकार सरकार की और से जवाब अप्राप्त। विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब में बताया की प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 05 सरासर मनगढन्त एवं काल्पनिक होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित रास्ते को कभी उपयोग उपभोग नहीं किया है प्रार्थी वर्षो से पश्चिम दिशा में स्थित अपने ही गांव के खातेदार की आराजी नम्बर 104 व 360/105 व 356/106 से होकर मुख्य सड़क से अपने गांव जाता रहा हे। प्रार्थी के पास रास्ता होते हुए भी विपक्षीगण की आराजीयात में न्यायालय के माध्यम से नया रास्ता कायम करवाने हेतु यह गलत व झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया। विपक्षी के बयान का अध्ययन किया गया एवं संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली में विपक्षी के जवाब को एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को संलग्न कर तहसीलदार बिजोलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर दिनांक 21.04.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/814 दिनांक 13.05.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि:–

भू.अ.नि.उमाजी का खेड़ा एवं पटवारी हल्का गणेशपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवगढ़ की आराजी संख्या 103 रकबा 1.3112 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी खातेदार नानालाल पुत्र होकमीचन्द धाकड़ सा. गणेशपुरा रहन BRKGB शाखा बिजोलियां के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए ग्राम देवगढ़ के आराजी संख्या 289/97, 98, 99, में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। उक्त खसरा नम्बर 289/97 रकबा 0.3642 हैक्टेयर आराजी नम्बर 98 रकबा 0.3885 हैक्टेयर आराजी नम्बर 99 रकबा .3076 हैक्टेयर भूमि अनिल कुमार पुत्र जीतमल 1/12 मांगीदेवी पत्नि स्व. जीतमल 1/12, राजीबाई पत्नि स्व. भवाना 1/4, शोभालाल पुत्र भवाना 1/4 , सुमित्रादेवी पत्नि जीतमल 1/12 , सोहनलाल पुत्र भवाना 1/4 धाकड़ सा. देवगढ़ के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। संलग्न नक्शा ट्रेस लाल स्याही से दर्शाये अनुसार निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	कुल रकबा हैक्टेयर में	रास्ते में प्रयुक्त रकबा हैक्टयर मे	नाम खातेदार
01.	289/97	0.3642	0.0061	अनिल कुमार पुत्र जीतमल 1/12, मांगीदेवी पत्नि स्व. जीतमल 1/12,राजीबाई पत्नि स्व. भवाना 1/4, शोभालाल पुत्र भवाना 1/4, सुमित्रदेवी पत्नि जीतमल 1/12, सोहनलाल पुत्र भवाना 1/4 धाकड़ सा. देवगढ़
02.	98	0.3885	0.0170	
03.	99	0.3076	0.0093	
योग			0.0324 है.	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त आराजी संख्या 289/97 , 98, 99 NH–27 से 100 मीटर की परिधि में स्थित है। उक्त आराजी संख्या 289/97, 98, 99, आबादी से 800 मीटर तथा खनन स्वीकृत/संभावित क्षेत्र से 460 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगणों का कहना है कि प्रस्तावित रास्ता हमारे पूर्व में भी आने–जाने के उपयोग में लिया जाता था। वर्तमान में अप्रार्थीगणों द्वारा मलबा डालकर बन्द कर दिया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता उक्त आराजी नम्बर 289/97, 98, 99 की पश्चिमी मेड के सहारे प्रस्तावित है।

ग्राम देवगढ़ की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 289/97, 98, 99 कुल किता 03 में से रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 3188100/– रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 103295/– रूपये का दुगुना से 206590/– रूपये की राशि बनती है। तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरिक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा , नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस, पेश किया। रिपोर्ट को संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया । उभयपक्ष पक्ष अधिवक्तों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया एवं पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं विपक्षी अधिवक्ता से प्राप्त जवाब का अध्ययन करने एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन/मनन करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत समक्ष दस्तावेजों का गुणावगुण/मेरिट के आधार पर गहन अध्ययन करने एवं मनन करने पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा भू.अभि.निरिक्षक उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 33 में अंकित खसरा नम्बर 103 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में स्वयं के पैदल , मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा भू.अभि.क्षेत्र उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां की आराजी संख्या 289/97 रकबा 0.3642 है, 98 रकबा 0.3885 है, 99 रकबा 0.3076 है में से **0.0324 हैक्टेयर** को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 289/97, 98,99 कुल किता 03 में से रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 3188100/– रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 103295/– रूपये का दुगुना से **206590**/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 09/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा